न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 8/20

GCMS NO 2020/00001

1. गोपाल
2. मांगीलाल
3. जगदीश पिसरान मंगला जातियान रैगर निवासीयान ग्राम नया पढाना(रामसिहपुरा) तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र तेज्या जाति रैगर निवासी ग्राम पढाना (रामसिहपुरा) तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. बाबूलाल पुत्र नानगा जाति रैगर निवासी पढाना (रामसिहपुरा) तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. लडडूलाल पुत्र नानगा जाति रैगर निवासी पढाना (रामसिहपुरा) तहसील व जिला सवाई माधोपुर(मृतक)

3/1. कमला पत्नि स्व0लडडू लाल
3/2. सुमिल पुत्र स्व0लडडू लाल
3/3. दिलीप पुत्र स्व0दिलीप पुत्र लडडू लाल
3/4. कविता पुत्री स्व0लडडू लाल
3/5 हेमलता पुत्री स्व0लडडू लाल
3/2 लगायत 3/4 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमला देवी पत्नि स्व0लडडू लाल जाति रेगर निवासीयान नया पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/6. प्रियंका पुत्री स्व0 लडडू लाल पत्नि लोकेश निवासी नया पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/7. उर्मिला पुत्री स्व0 लडडू लाल पत्नि ओमप्रकाश निवासी नया पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 12/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री अजीजउद्दीन अहमद
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 21.10.2024

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested

उन्वान कालू बनाम गोपाल

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र विभाजन,उदघोषणा ,इन्द्राज दुरुस्ती स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा साबिक 158 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामसिहपुरा तहसील सवाई माधोपुर को वादी न0 1 ,2 व 3 के पिता ने प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पिता मंगल्या पुत्र रामा रेगर से जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 28.9.88 को कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा नामा0संख्या 351 दिनांक 31.3.89 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने वादी व प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पक्ष मे 1/2, 1/2 हिस्से का नामा0खोला। आराजी ख0न0 साबिक 153 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को भी वादी न0 1 व प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता ने मंगल्या पुत्र रामा रैगर निवासी रामसिहपुरा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.9.88 को कय कर कब्जा प्राप्त किया। जिसका नामा0 संख्या 352 दिनांक 31.3.89 को खोला गया। प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने रेवेन्यू कर्मचारियो से मिलकर नामा0संख्या 351 व 352 का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही होने दिया व गलत रूप से वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 286,287,303 व 304 को भी अकेले अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज करवाली जिससे प्रतिवादी 1 लगायत 3 विकय करने की फिराक मे है। दिनांक 10.12.12 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादीगण की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजीयात को बेचने की धमकी देने पर वाद कारण पैदा हुआ। उदघोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी ख0न0 286,287,303 व 304 वाके ग्राम रामसिहपुरा कके वादीगण खातेदार काश्तकार है अपने अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त ख0न0 का मौके व कब्जे अनुसार तकासमा किया जाकर पृथक से खातेदारी वादीगण के पक्ष मे फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत न तो स्वयं पैदा करे न अन्य व्यक्ति से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ रेस्पो0/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय मे अपील पेश की गई है।

अपील 'पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा यह कहते हुए पेश किया कि मृतक रामा रैगर की कब्जे का[illegible] आराजी ग्राम रामसिहपुरा (नया पढाना) की आराजीयात जो पुश्तैनी कब्जे क[illegible] आराजी रही है जो मंगलाराम प्रतिवादीगण के पिता अकेले मे नाम दर्ज[illegible] [illegible]शन भी चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क्योकि रामा रैगर के नाम कोई राजस्व रिकार्ड ही नही है ना ही वादीगण ने अपनी साक्ष्य को सिद्व नही किया है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा उदघोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ,बंटवारा एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा पुराने के कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गई है जबकि पुराना कब्जा माफी हबीबउल्लाह के नाम थी इसके बाद पुराने कब्जे के आधार से प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम आर टी एक्ट 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम लगी। वादीगण द्वारा कब्जा होने का कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है। प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगलाराम क़े नाम धारा 19 के तहत पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई और पर्वूजो की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण/अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 ता 4 को सिद्व नही कर पाये है। तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के नाम पुराने कब्जे के आधार पर धारा 19 के तहत नामा0 संख्या 168 दिनांक 17.7.1977 का प्रदर्श 7 से सिद्व किया गया है। जिस पर वादी ने ओमप्रकाश पी डब्लू 1 ने भी स्वीकार किया है कि मंगलाराम के नाम 1977 मे दर्ज राजस्व जमाबंदी मे नाम लगाई गई थी उससे पूर्व सम्वत 2017 से 2020 की जमाबंदी खतोनी मे माफी हबीबउल्लाह के नाम दर्ज थी। जो प्रदर्श डी 8 व 9 से सिद्व है। प्रतिवादीगण को पुराने कब्जे के आाधर पर धारा 19 के तहत खातेदारी दी गई थी। विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 धारा 38 स्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती। जो आर आर टी 2012(1) 358 से स्पष्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय IMP Point : An Injunction restraining disturbance of possession will not be granted, in favour of plaintiff who are not found to be in possession. वादीगण को तनकी संख्या 3 को सिद्व करने का भार था जिसे वादीगण सिद्व नही कर पाये है। विवादित आराजी सन् 1977 से वर्तमान तक प्रतिवादीगण के पूर्वजों मंगलाराम रेगर के नाम जमाबन्दी में दर्ज की गई और उसके बाद आज तक प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारियों के नाम चली आ रही है इस बात की जानकारी जब वादीगण को थी तो वादीगण ने विवादग्रस्त 1977 से 29 वर्षो के बाद वाद दायर किया गया है जबकि उद्घोषणा का दावा की मियाद 3 वर्ष होती है कब्जा निषेधाज्ञा पर वाद 12 वर्ष की होती है वादीगण ने जो वाद दायर किया वह 40 वर्षो के बाद प्रस्तुत किया गया था। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित हुई है। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91 व 92 के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 183 के तहत प्रस्तत नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नही की गई है ना ही साक्ष्य का कोई खण्डन किया है। वादी का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नही होने से धारा 88 व 188 के प्रावधान के अन्तर्गत दावा पेश नही किया जा सकता है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से धारा 183 के तहत बेदखली का दावा पेश किये बिना स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही है। जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 के तहत कब्जा प्राप्त करने की प्रार्थना [illegible] से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई [illegible] व डिक्री निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

व 352 दिनांक 31.3.89 को जो सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा खोले गये है का जमाबंदी सम्वत 2042–45 खाता संख्या 85 मे नोट अंकित किया गया लेकिन भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन नम्बर बनाते समय उक्त नामा0 का अमल नही किया। अमल वादीगण के नाम नही किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। जिसे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6.9.15 के द्वारा नामा0संख्या 18 जो प्रतिवादीगण के पक्ष मे खोला गया है को निरस्त किये जा चुके है। इस प्रकार विवादित आराजीयात जिसके नवीन न0 312,313,329 व 330 की खातेदारी वादीगण अपने पक्ष मे कराने के अधिकारी होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को तनकीयात सिद्व करने हेतु भारित किया गया था। जिसमे वादीगण प्रत्येक तनकी को सिद्व करने मे सफल रहे है एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी तनकी सिद्व नही की जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जो विधि अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ग्राम रामसिहपुरा (नया पढाना) तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। वादीगण/रेस्पो एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण दोनो के पूर्वजो द्वारा विवादित आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.9.88 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया जाना बताया गया है। जिसका नामा0सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पक्ष मे 1/2–1/2 हिस्से का खोला गया है। आराजी ख0न0 साबिक 153 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा को भी वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता मंगल्या पुत्र रामा रैगर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। जिसका नामा0 संख्या 352 दिनांक 31.3.89 को खोला गया। परन्तु आराजीयात ख0न0 286,287,303 व 304 की खातेदारी प्रतिवादी/अपीलांट के नाम दर्ज होना बताया गया। रेस्पो0 का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर कय किये जाने के पश्चात से काबिज काश्त है परन्तु गिरदावरी सम्वत 2071–71 के आराजीयात ख0न0 312,313,329व 330 मे गोपाल,मांगीला,जगदीश पिसरान मंगल्या द्वारा गेहूँ की फसल काश्त करने का अंकन है। जमाबंदी सम्वत 2071–74 मे नामा0संख्या 162 दिनांक 20.12.11 के द्वारा मृतक केसर बेवा मंगलया की विरासत गोपाल,मांगीलाल ,जगदीश पिसरान मंगल्या हिस्सा 3/4 दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श ए 1 जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 मे ख0न0 286,287,303 व 304 गोपाल,मांगीलाल ,जगदीश पिसरान मंगल्या के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रजिस्ट्री दिनांक 28.9.88 प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 मे विकेता मंगला के हस्ताक्षर है तथा केता पार्टी न0 1 नानगा व कालू पिसरान तेजा व केता प्रार्टी न0 2 गोपाल,मांगीलाल,जगदीश पिसरान मंगला के हस्ताक्षर नही है। अपीलांट के पिता मंगला की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के आधार पर नामा0संख्या 18 खोला गया है। अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कब्जा होना जमाबंदी सम्वत 2069–72 से साबित है। नामा0संख्या नामा0संख्या 18 की अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ किये जाने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested

उन्धान कालू बनाम गोपाल

गोपाल
मांगीलाल
जगदीश

Scanned with CamScanner

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9.6.15 के द्वारा नामा0संख्या 18 की पुनः जॉच कर निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसके विरूद्व मा0संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ अपील पेश होने पर संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपील खारिज की जाकर जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को निर्णय यथावत रखा गया है। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने के निर्णय के उपरान्त नामा0संख्या 18 के संबंध मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित हुआ है या नही । इसके संबंध मे उभयपक्ष द्वारा दौराने बहस एवं कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि नामा0संख्या 18 तहसीलदार सवाई माधोपुर के यहॉ लंबित है।

इस प्रकार अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 12/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे नामा0संख्या 18 एवं प्रस्तुत विक्रय पत्र की जॉच कराते हुए विवादित आराजीयात की कब्जे व मौके की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर के यहॉ दिनांक 9.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner